प्रति [illegible]
I.C. [illegible]
16/12/2022

16/12/22 पत्रावली आज दावे की पत्रावली के साथ पेश हुई। दावा वादी डिक्री किए जाने के बाद प्रार्थी व प्रार्थी वकील के द्वारा प्रा. पत्र भी डिक्री करने हेतु कहे जाने पर प्रार्थी का प्रा. पत्र डिक्री (खारिज) किया जाता है। प्रा. पत्र खारिज किए जाने से न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 6/10/22 का प्रभावहीन हो गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सा[illegible]
उपख[illegible]पुर